

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

जिला हनुमानगढ

विजयपाल

बनाम

कृष्ण

किस्म मुकदमा , 88 ,188, आर.टी.एक्ट.

नम्बर 425

सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख
26.05.2022	<p>वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.07.2022 को पेश हो।</p> <p><del>15/12/22 वकील कादी उपरिष्ठ प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से नरेन्द्र बिशने नम उपरिष्ठ उपरोक्त हित सुमन चाफा प्रतिवादी संख्या 2 की तलब होत रजिस्टर समुद्र कि पत्र पत्रावली हो उपरोक्त पत्रावली हो दिनांक 27/10/22 की पेश हो।</del></p> <p>5/12/22 वकील कादी के प्राबन्ध पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील कादी ने निवेदन किया कि प्राप्त विसे गये भक्तानी काद की प्रकृति बदलने के कारण वे प्राची उक्त भक्तानी काद में भागे कोई कारवाही नहीं चालता है। इसलिए उक्त काद को विद्रो वर नया काद उत्पन्न इतना चालता है। उक्त भक्तानी काद को विद्रो विगा जाबर नया काद उत्पन्न इतने की अनुमति प्रदान की जावे।</p> <p>इसने पत्रावली व अनलोकन किया। प्रकरण तपरी/मकाव में निपारावीत है जिसे तारीख पेशी 13/02/23 मुकर्र है। अतः न्याय हित में प्राची प्राबन्ध पत्र को रीकॉर्ड करते हुए नया काद पेश इतने की अनुमति दे तथा प्रकरण विद्रो विगा जाबर है। पत्रावली नदर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)